उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 09.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम।

प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 09.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओ मुख्यमंत्री सुमंगला योजना ,निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैकिंग कॉरस्पोडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी साथ ही किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई एवं तत्काल थाना स्थानीय पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 09.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

संशोधित नये कानून (भारतीय न्याय संहिता/भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के सम्बन्ध में आरक्षी/मुख्य आरक्षी मोहर्रिर को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आज दिनांक 09.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशानुसार 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होने वाली नवीन आपराधिक विधियों यथा भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 व नवीन अन्य अधिनियमों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण व विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे की उपस्थिति में श्री अशोक कुमार शुक्ल, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी महोबा, श्री कृष्णपाल अभियोजन अधिकारी महोबा एंव श्री प्रमोद पालीवाल, विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट जनपद महोबा के द्वारा संशोधित नये कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023,भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) का आरक्षी/मुख्य आरक्षी मोहर्रिर को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जय हिन्द सर,

प्रभारी 112 द्वारा बताया गया कि उ0नि0 के0पी0 सिंह जो कि रिजर्व थे जिनकी तबियत बिगड़ गयी थी जिनको तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया जहां अब इनका स्वास्थ ठीक है तथा थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रान्तर्गत संचालित महिला पीआरवी 5822 पर नियुक्त मुख्य आरक्षी अब्दुल हक की भी तबियत थोडी सी खराब हो गयी थी बाद उपचार अब ठीक है तथा ड्यूटी पर मौजूद है।